चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 09.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को “मिशन शक्ति” व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 09.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में आगामी होली त्यौहार व रमजान को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत एवं शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 10 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

(1). उ0नि0 श्री रमेश सिंह यादव थाना कोतवाली कर्वी व उ0नि0 श्री राजेश चौरसिया मय हमराह आरक्षी अरविन्द द्वारा मु0नं0 167/2012 मु0अ0सं0 120/12 धारा 325/452/323/504/506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त रामानन्द पुत्र श्यामसुन्दर निवासी सेमरिया जगन्नाथ वासी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(2). उ0नि0 श्री गौरव तिवारी कोतवाली कर्वी व उ0नि0 श्री अनुभव सिंह मय हमराह आरक्षी कुलदीप द्विवेदी द्वारा मु0नं0 26/23 मु0अ0सं0 126/2020 धारा 138 (1)(बी) विद्युत अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त लाला यादव पुत्र गुलुवा निवासी फरासन टोला तरौहा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया।

(3).उ0नि0 श्री श्यामदेव सिंह चौकी प्रभारी मण्डी समिति कोतवाली कर्वी मय हमराह आरक्षी शिवपूजन यादव द्वारा 1. मु0नं0 1239/19 मु0अ0सं0 232/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारंटी अभियुक्त राममूरत पुत्र लालमन निवासी बल्दाऊगंज थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 2.मु0नं0 208/16 धारा 138(बी) विद्युत अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त पप्पू पटेल पुत्र सुन्दरलाल पटेल निवासी चकरेही चौराहा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 3.मु0नं0 411/16 मु0अ0सं0 962/15 धारा 279/337/338/304ए भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त लंगी खटिक पुत्र बढ़वा खटिक निवासी खटिकाना शंकर बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(4). उ0नि0 श्री हर्षित मिश्रा थाना कोतवाली कर्वी द्वारा मु0नं0 439/19 मु0अ0सं0 22/18 धारा 3/25 आयुध अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त श्यामलाल पुत्र प्रभु निवासी लोढ़वारा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(5). उ0नि0 श्री यदुवीर सिंह चौकी प्रभारी गनीवा थाना राजापुर मय हमराह मुख्य आरक्षी वीरेन्द्र कुमार व आरक्षी रामकेश द्वारा मु0नं0 683/16 धारा 147/323/504/352/506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त महेश कुमार रैदास पुत्र चुनकावन निवासी पैकोरा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(6). उ0नि0 श्री वंश नारायण सिंह थाना मऊ व उ0नि0 शाबनवाज खाँ मय हमराह आरक्षी राहुल पाण्डेय द्वारा मु0नं0 36/19 मु0अ0सं0 02/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त गोविन्द प्रसाद पुत्र सत्यनारायण निवासी अहिरी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(7).उ0नि0 श्री रामकुमार सिंह थाना भरतकूप द्वारा मु0नं0 453/19 धारा 138 एनआई एक्ट के वारण्टी अभियुक्त संतोष यादव पुत्र लागेश्वर निवासी लोहिया थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(8). उ0नि0 श्री कन्हैया बक्श सिंह व उ0नि0 श्री इमरान खान मय हमराह आरक्षी शाकिर अली व आरक्षी उज्जवल पाण्डेय द्वारा मु0नं0 366/13 मु0अ0सं0 37/12 धारा 324/323/504/506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त मुखिया उर्फ सियाशरण तिवारी निवासी ग्राम रूपौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/ब्रिकी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री विनोद कुमार राय के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री हरिशंकर रावत व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त रामू सिंह उर्फ सुरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र होरीलाल सिंह निवासी ग्राम वियावल थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 23 अदद अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ पर धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री हरिशंकर रावत थाना मऊ

2.आरक्षी शुभम त्रिपाठी

3.आरक्षी राकेश कुमार

(5). माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कर्वी चित्रकूट के आदेश दिनांक 07.12.2024 के अनुपालन के क्रम में आज दिनांक 09.03.2025 को आबकारी अधिनियम के अभियोगो को क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जयकरन सिंह,सहायक अभियोजन अधिकारी श्री ब्रजमोहन ,कार्यालय लिपिक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री रामप्रसाद, आबकारी निरीक्षक श्री नीरज वर्मा,थानाध्यक्ष श्री प्रवीण सिंह व प्रधान लेखक मुख्य आरक्षी नवल किशोर की उपस्थिति में थाना राजापुर परिसर में गढ्ढा खोदवाकर कुल 120 मुकदमा आबकारी अधिनियम के पंचनामा माल समिति के समक्ष नष्ट कराकर गढ्ढे में डालकर जलवाकर विनिष्टीकरण कराया गया।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अभिनव प्रताप सिंह व हमराहीगण द्वारा मु0नं0 505/2019 मु0अ0सं0 250/2018 धारा 279/338 भादवि0 के वारंटी अभियुक्त अनिल यादव पुत्र अमरनाथ यादव निवासी ग्राम नांदी तौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री अभिनव प्रताप सिंह

2. आरक्षी गुड्डू यादव

3.आरक्षी कमलेश कुमार

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा श्री आशुषोत तिवारी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री बालकिशुन व हमराहीगण द्वारा मु0नं0 463/2019 मु0अ0सं0 570/2018 धारा 279/337/338/427 भादवि0 के वारंटी अभियुक्त संतोष कुमार यादव पुत्र दशरथ यादव निवासी सेमरिया चरणदासी थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री बालकिशुन थाना बहिलपुरवा

2. आरक्षी जितेन्द्र

3.आरक्षी होलीकेन्द्र